

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/6/2023

अपीलांत सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह  
निवासी आशियाना अमरबाग, पाली रोड़ कुड़ी जोधपुर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 06.02.2023

अपीलार्थी सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह निवासी आशियाना अमरबाग, पाली रोड़ कुड़ी जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 15.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय पोस्टल ऑर्डर संख्या 517248 दिनांक 01.12.2022 की प्रति संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 23.12.2022 द्वारा संबंधित लोक सूचना विभाग को स्थानान्तरित की जाकर अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है और कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी की अपील, रेस्पोंडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं रेस्पोंडेंट की ओर से जारी पत्राचार का अवलोकन किया। अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबद्ध लोक सूचना अधिकारी से संबंधित होने से स्थानान्तरित की जाकर अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है। अतः रेस्पोंडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को न्यायालय में सुनाया गया।

*Loh*

प्रथम अपील प्राधिकारी  
जिला कलक्टर बाड़मेर

